

जनपद-देवरिया के अन्तर्गत हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच-79) के कि०मी० नं०-14 से 15 के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-908, ग्राम-कोन्हवलियों, पो०-कंचनपुर, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रस्तावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग :-

दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना

$$\begin{aligned}\text{उल्लघन की तिथि} &= 14.05.2022 \\ \text{उल्लघन की क्षेत्रफल} &= 0.075028 \text{ हे०} \\ \text{इको क्लास एवं हरियाली घनत्व} &= \text{ECO -3, घनत्व- } 0.4 \\ \text{एन०पी०वी० की दर} &= 1228590.00 \text{ रू० / हे०} \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०वी०} &= 0.075028 \times 1228590.00 \\ &= 92179.00 \\ \text{ब्याज} &= \frac{92179.00 \times 12 \times 1}{100} = 11061.00 \\ \text{दण्डात्मक एन०पी०पी० + ब्याज} &= 92179.00 + 11061.00 \\ &= 103240.00 \\ \text{देय दण्डात्मक एन०पी०पी०} &= \frac{103240 \times 20}{100} = 20648.00\end{aligned}$$

R. J. Jeel

(जगदीश आर०)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया